



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

No. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

का.आ. 23(अ).—सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विनाश का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 जुलाई, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30 जुलाई, 2009 के सं. का.आ. 1866(अ) की अधिसूचना में तालिका में क्रम संख्या 1 से संबंधित स्तम्भ (3) के अंतर्गत मौजूदा प्रविष्टियों में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

राजस्व विभाग के अंतर्गत पंजीकृत सभी परिसर।

[फा. सं. पी. 16011/7/2005-पौएच-1]

वी. वेंकटाचलम, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना 30 जुलाई, 2009 के अधिसूचना सं. का.आ. 1866(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, namely :—

In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1866(E), dated the 30th July, 2009, in the Table, for the existing entries under column (3), relating to serial number 1, the following entries shall be substituted, namely :—

All premises registered under Department of Revenue.

[F. No. P-16011/7/2005-PH-I]

V. VENKATACHALAM, Addl. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 1866 (E), dated the 30th July, 2009.